

**मांग संख्या 39**  
**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 1**

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना हेतु राशि रूपये 8700.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 87,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2408**

**मद क्रमांक 2**

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये प्रशिक्षण हेतु राशि रूपये 9.82 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 9,82,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

मार्कफेड को खाद्यान्न उपार्जन से हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 5000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यांकन हेतु राशि रूपये 276.41 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्लोबल पोजीसनिंग सिस्टम हेतु राशि रूपये 29.61 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 29,61,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।